## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2009/00063 (22/2009) 225 आरआईएक्ट

1. रघुवीर सिह
2. जसवीर सिह
3. दिलबागसिह

} पिसरान दर्शन सिंह, अकवाम जटसिखन निवासीयान ढाणी चक 22 जीजीआर राठीखेड़ा तह0टिब्बी। –अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रकटसिंह
2. साहबसिंह

} पिसरान मुखत्यार सिंह अकवाम जटसिखन निवासीयान ढाणी 2 जीजीआर राठीखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. चरण कौर पत्नी स्वर्गीय मुखत्यार सिंह, जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 2 जीजीआर राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.05.2009 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी प्रकरण संख्या 69/2003 बअनवानी रघुवीर सिंह वगैरह बनाम प्रकटसिंह वगैरह

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री महेन्द्र सिंह संधु अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1

निर्णय दिनांकः– 10.09.2021

1. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र भी पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों की रोही मौजा सिलवाला कला की अजीता पट्टी की जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 में मुश्तर्का खाते के खातेदार कागजात माल दर्ज है। उक्त साझा ... की भूमि विभाजन के समय खाला रास्ता की अधिकांश भूमि ... के हिस्सा में आई जिसको समान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य यह समझौता हुआ कि खाला रास्ता में उनके हिस्से की भूमि के साथ लगती भूमि 4/1/2, 4/1/3 कदम भूमि यानी तीन–तीन बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की दी जावेगी। तदानुसार प्रार्थीगण प0 नं0 219/295 के मु0 नं0 43 के किला नं. 11,12, 23, 14, 15 में से तीन–तीन बिस्वा भूमि जो प्रार्थीगण की पत्थर के किला नं. 6 ता 10 के साथ लगता प्रार्थीगण के पूर्वजों को देदी। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। विभाजन के बाद प्रार्थीगण प0 नं0 219/295 मु0 नं0 43 के किला नं. 6 ता 10 के चिपते किला नं. 11 ता 15 में तीन तीन बिस्वा यानि कुल 15 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्तकारान हैं। अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य बदयान्ति आ गई है और वे पैमाईश करवा कर निशानदेही के बाद कब्जा करना चाहते हैं। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक परेशानी होगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रश्नगत भूमि जो केहरसिह की 30 बीघा भूमि थी जिसका कभी खाता प्रार्थीगण के साथ संयुक्त नहीं रहा। उक्त 30 बीघा भूमि में से 23 बीघा भूमि हम अप्रार्थीगण की थी जो हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही थी तथा न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के निर्णय दिनांक 28.09.1995 के की पालना में राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम अंकित हो गई इसकी कोई अपील नहीं हुई है। अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस उपरान्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार ने मौके पर पैमाईश की तथा चक नं. 2 जीजीआर के प. नं. 219/295 मु. नं. 43 के किला नं. 11 ता 15 व 3 ता 10 का निरीक्षण किया। इस रिपोर्ट दिनांक 20.01.2004 के अनुसार [illegible] का कब्जा काश्त है। यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट दोनों पक्षों के समक्ष तैयार की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे को 37 वर्ष हो चुके हैं। रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहता है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो अपीलाण्ट को पूर्णीय क्षति होगी किला नं. 11 में लगे नलकूप से अपने खेत में पानी लगाने से वंचित हेा जायेगे सारी फसल खराब हो जायेगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) पेज 1084, आरआरटी 2016 पेज 581, आरआरटी 2013 (1) पेज 682, आरआरडी 2006 पेज 294, आरआरडी 2006 पेज 82 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि जो केहरसिह की 30 बीघा भूमि थी जिसका कभी खाता प्रार्थीगण के साथ संयुक्त नहीं रहा। प्रश्नगत 30 बीघा भूमि में से 23 बीघाभूमि हम अप्रार्थीगण की थी जो हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही थी तथा न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के निर्णय दिनांक 28.09.1995 के की पालना में राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम अंकित हो गई इसकी कोई अपील नहीं हुई है। अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट/प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं को साबित करना जरूरी हैः–

(1) प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रकरण में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार हैं जो सहायक कलक्टर संगरिया के निर्णय दिनांक 28.09.1995 के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार टिब्बी की दिनांक 20.11.2014 की रिपोर्ट प्रस्तुत है जिसमें रघुवीर सिंह जसवीर सिह, दिलबागसिंह पुत्र दर्शन सिह के कब्जा काश्त में प. नं. 219/295 किला नं. 11–12 में 18 फुट 165 फुट में तथा किला नं. 13 में 18 गुणा 165 फुट किला नं. 14 में 18 गुणा 165 फुट तथा किला नं. 15 में 11 गुणा 165

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

फुट भूमि किला नं. 6 ता 10 के चिपती हुई कब्जा काश्त में है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में है।

(2) सुविधा का सन्तुलनः– अपीलाण्ट प. नं. 219/295 के किला नं. 11 में लगे नलकूप से अपने खेत में पानी लगाता है यदि रेस्पोडेण्ट को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो अपीलाण्ट की सिंचाई आदि में व्यवधान पैदा कर सकता है और जिससे अपीलाण्ट की फसल खराब हो जायेगी और रेस्पोडेण्ट की बजाय अपीलाण्ट को अधिक असुविधा होगी। वह अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित रह जायेंगे। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

(3) अपूर्णीय क्षतिः– प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। इस बीच प्रश्नगत भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया जाता है या भूमि को रहन बैय कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अपीलाण्ट के पक्ष में है।

अपीलाण्ट उक्त तीनों बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। उभयपक्षों के मध्य विवादित भूमि पर अपने हक हिस्से, अधिकारों को लेकर विवाद है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016 (2) पेज 1084 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वादों के निस्तारण तक सम्पति की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में विवादित भूमि की सुरक्षा के लिए, दोनों पक्षों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, भूमि को खुर्दबुद होने से रोकने के लिए प्रकरण में स्थगन आदेश दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2009 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि चक 2 जी.जी.आर के प. नं. 219/29[illegible] 43 के किला नं. 11 ता 15 व इसी पत्थर नं. के किला नं[illegible] बिस्वा भूमि की ताफैसला

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वाद यथास्थिति बनाये रखी जावे। प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखअंदाजी ना करे व किसी प्रकार से रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरित नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/9/21

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested